।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 1/2 तारीख रज्जू 04.01.2022

01– श्रीमती मीरा सैनी पत्नी स्व० श्री किशनलाल सैनी विधिक वारिस मृतक किशन लाल नि० प्रतापबास अलवर —वादी

बनाम

01– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर —प्रतिवादी

02– श्री शिम्भू दयाल शर्मा पुत्र श्री किशनलाल शर्मा जाति ब्राह्मण

03– लक्ष्मणराम सैनी पुत्र श्री गोविन्द राम सैनी

04– रामचन्दर सैनी पुत्र श्री लक्ष्मणराम सैनी

05– सुशील सैनी पुत्र श्री लक्ष्मण सैनी

06– रमेश पुत्र श्री लक्ष्मणराम सैनी

07– लक्ष्मणराम सैनी पुत्र श्री हीरालाल सैनी जातियान माली निवासियान प्रतापबास अलवर

08– विमला देवी पत्नी स्व० श्री घनश्याम पुत्र श्री लक्ष्मणराम सैनी (जायज वारिस मृतक घनश्याम सैनी) —तरतीबी प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–: निर्णय :– दिनांक: 05.01.2022

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादनी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि साबिक आराजी खसरा नं० 620 रकबा 3 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 675 रकबा 0.04 है० व साबिक खसरा नम्बर 619/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 673 रकबा 0.30 है० वाके ग्राम अलवर नम्बर 1 तहसील व जिला अलवर में स्थित है। जिसे वादनी के पति स्व० किशनलाल

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 7 व प्रतिवादी संख्या 8 विमला के पति श्री घनश्याम सैनी, लक्ष्मण सैनी ने अर्जुनराम पुत्र श्री भौराराम जाति माली निवासी विजय मन्दिर रोड अलवर से जर्ये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 12.05.1988 को क्रय कर दिनांक 12.05.1988 को ही उक्त खसरा नम्बरान का बैयनामा उपपंजियक अलवर के यहां तहरीर व तकमील करवाया गया था। जिसका पंजीयन उपपंजीयक अलवर के यहां दिनांक 12.5.1988 को पुस्तक संख्या जिल्द संख्या 408 पृष्ठ संख्या 267–268 के क्रम संख्या 705 पर चस्पा किया गया। बैयानामा पंजीयन कराने के उपरान्त बैयनामा के आधार पर वादनी के पति व तरतीबी प्रतिवादीगण प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 7 ने अर्जुनराम पुत्र भौराराम जाति माली व प्रतिवादी संख्या 8 विमला के पति घनश्याम सैनी, श्री लक्ष्मण सैनी के हक में इंतकाल नम्बर 241 दिनांक 22.12.1990 को दर्ज हुआ जिसके आधार पार वादनी के पति व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा० 7 व 8 विमला के पति श्री घनश्याम सैनी, लक्ष्मण सैनी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। जो जमाबन्दी सम्वत 2051 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 620 रकाब 3 बिस्वा खाता संख्या 160 में अर्जुनराम पुत्र भौराराम के स्थान पर वादनी के पति व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 7 व प्रतिवादी संख्या 8 विमला के पति घनश्याम सैनी, लक्ष्मण सैनी उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादनी को बैंक से लोन लेना था जिस कारण जमाबन्दी की नकल निकलवाई। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादनी का नाम उक्त खसरा नम्बर व राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया गया। केवल साबिक आराजी खसरा 620 में बैयनामा के आधार पर वादनी के पति व प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 7 व प्रतिवादी संख्या 8 विमला के पति घनश्याम सैनी, लक्ष्मणसैनी के नाम दर्ज किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की भूल के कारण मिन वादनी के पति का नाम साबिक खसरा नम्बर 619/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 673 रकबा 0.30 है० राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से रह गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 18.11.2020 को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने से इंकार कर दिया गया। वादनी के पति किशन लाल का देहान्त हो गया है। वादनी काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत दिनांक 12.05.1988 को मिन

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

वादनी के पति के हक में बैयनामा निष्पादित हुआ तथा दिनांक 07.10.2020 को वादनी द्वारा जमाबन्दी निकलवाई गई एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने से इंकार कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से मिन वादनी के हक में साबिक आराजी खसरा नम्बर 619/2 जिसका हाल खसरा नम्बर 673 रकबा 0.30 है० वाके ग्राम अलवर नम्बर 1 तहसील अलवर का राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम दुरूस्त कराने का निवेदन किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया गया। तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ने जबाव बन्द करने का कथन करने पर दिनांक 05.07.2021 को जवाब बन्द किया गया। तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 6 व 8 की ओर से जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि यदि वादनी का वाद स्वीकार फरमाया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नही है। वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई।

01– आया विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 620 रकबा 03 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 675 रकबा 0.04 है० साबिक खसरा नम्बर 602 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 673 रकबा 0.30 है० वाके ग्राम अलवर नम्बर 1 वादनी के पति एवं तरतीबी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा आराजी है। जिसका इंतकाल नम्बर 241 दर्ज व स्वीकार हुआ है। –वादनी

02– आया इंतकाल संख्या 241 का अमल जमाबन्दी सम्वत 2051 में आया जिसमें साबिक खसरा नम्बर 620 हाल खसरा नम्बर 675 का अंकन कर दिया किन्तु साबिक खसरा नम्बर 619/2 हाल खसरा नम्बर 673 का अमल नही किया गया है। जिसे दुरूस्त कराने का वादनी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण अधिकारी। –वादनी

03– दादरसी

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

वकील वादनी एवं प्रतिवादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के वकील साहिबान की बहस सुनी। वकील वादनी ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए साबिक आराजी खसरा नम्बर 619/2 जिसका हाल खसरा नम्बर 673 रकबा 0.30 है० वाके ग्राम अलवर नम्बर 1 तहसील अलवर का राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम दुरूस्त कराने का निवेदन किया है।

पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। वकील वादनी एवं प्रतिवादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के वकील साहिवान की बहस पर मनन किया। वाद का तनकीवार निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

<u>तनकी संख्या – 01</u> आया विवादित आराजी साविक खसरा नम्वर 620 रकवा 03 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 675 रकबा 0.04 है० साविक खसरा नम्वर 602 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 673 रकवा 0.30 है० वाके ग्राम अलवर नम्बर 1 वादनी के पति एवं तरतीबी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा आराजी है। जिसका इंतकाल नम्बर 241 दर्ज व स्वीकार हुआ है।

वादनी द्वारा पत्रावली में, विक्रयपत्र दिनांक 12.05.1988 जो असल पेश किया गया है जिस पर इंतकाल संख्या 1241 फैसल दिनांक 22.12.1990 का अंकन कियाा हुआ है एवं जमाबन्दी सम्वत 2051–2070, 2054–2057, 2058–2061, 2062–2065, फोटोप्रति नामान्तकरण संख्या 1241 व मृत्यु प्रमाण पत्र किशनलाल पुत्र लक्ष्मण, मृत्यु प्रमाण पत्र घनश्याम दास सैनी पुत्र लक्ष्मणराम सैनी व आधार कार्ड मीरा सैनी, पेश किये है। तरतीबी प्रतिवादीगण ने भी अपने जवाब दावे में वादनी का वाद स्वीकार किये जाने बाबत अनापत्ति जाहिर की है। इस तनकी को वादनी साबित करने में सफल रही है, इस कारण यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध तथा वादनी के पक्ष में निर्णित कर तय की जाती है।

<u>तनकी संख्या – 02</u> आया इंतकाल संख्या 241 का अमल जमाबन्दी सम्वत 2051 में आया जिसमें साबिक खसरा नम्बर 620 हाल खसरा नम्बर 675 का

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

अंकन कर दिया किन्तु साबिक खसरा नम्बर 619/2 हाल खसरा नम्बर 673 का अमल नही किया गया है। जिसे दुरूस्त कराने का वादनी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण अधिकारी।

विक्रयपत्र दिनांक 12.05.1988 जो असल पेश किया गया है जिस पर इंतकाल संख्या 1241 फैसल दिनांक 22.12.1990 का अंकन किया हुआ है एवं जमाबन्दी सम्वत 2051–2070, 2054–2057, 2058–2061, 2062–2065, फोटोप्रति नामान्तकरण संख्या 1241 व मृत्यु प्रमाण पत्र किशनलाल पुत्र लक्ष्मण, मृत्यु प्रमाण पत्र घनश्याम दास सैनी पुत्र लक्ष्मणराम सैनी व आधार कार्ड मीरा सैनी, पेश किये है। तरतीबी प्रतिवादीगण ने भी अपने जवाब दावे में वादनी का वाद स्वीकार किये जाने बाबत अनापत्ति जाहिर की है। इंतकाल संख्या 1241 में साबिक खसरा नम्बर 619/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा के 1/2 भाग का सही प्रकार से अंकन किया गया है, नामान्तकरण में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नजर नही आती है। परन्तु जमाबन्दी 2051–2070 में उक्त इंतकाल के बाबत, साबिक खसरा नम्बर 619/2 जिसके हाल खसरा नम्बर 673 बने है का अंकन नही किया गया है। जो अंकन किया जाना चाहिए था। इस तनकी को वादनी साबित करने में सफल रही है यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी तथा वादनी के पक्ष में निर्णित कर तय की जाती है।

वादनी के पति द्वारा साबिक खसरा नम्बर 619/2 रकबा 1बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 673 रकबा 0.30 है० बनाये गये है उक्त आराजी वादनी के पति द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की गई है जिसके इंतकाल संख्या 1241 वादनी के पति के नाम दर्ज होकर स्वीकार हुआ है। परन्तु जमाबन्दी 2051–2070 में उक्त इंतकाल के बाबत, साबिक खसरा नम्बर 619/2 जिसके हाल खसरा नम्बर 673 बने है का अंकन नही किया गया है। जो अंकन किया जाना चाहिए था। तनकी संख्या 3 वादनी के पक्ष में निर्णित कर तय की जाती है। वाद वादनी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः साबिक खसरा नम्बर 619/2 के हाल खसरा नम्बर 673 रकबा 0.30 है० वाके अलवर नम्बर–1 के 1/2 भाग में (1) मीरा सैनी पत्नी स्व०

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

किशनलाल, (2) शिम्भू दयाल शर्मा पुत्र श्री किशन लाल शर्मा, (3) लक्ष्मण राम सैनी पुत्र श्री गोविन्द राम सैनी, (4) रामचन्दर पुत्र श्री लक्ष्मण राम सैनी, (5) सुशील पुत्र श्री लक्ष्मणराम सैनी, (6) रमेश पुत्र लक्ष्मण राम सैनी, (7) लक्ष्मण राम सैनी पुत्र हीरालाल सैनी एवं (8) विमला देवी पत्नी स्व० श्री लक्ष्मण राम सैनी को 1/8 – 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार अलवर को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक इंतकाल संख्या 1241 के साबिक खसरा नम्बर 619/2 के हाल खसरा नम्बर 673 रकबा 0.30 है० 1/2 भाग में (1) मीरा सैनी पत्नी स्व० किशनलाल (2) शिम्भू दयाल शर्मा पुत्र श्री किशन लाल शर्मा (3) लक्ष्मण राम सैनी पुत्र श्री गोविन्द राम सैनी (4) रामचन्दर पुत्र श्री लक्ष्मण राम सैनी (5) सुशील पुत्र श्री लक्ष्मणराम सैनी (6) रमेश पुत्र लक्ष्मण राम सैनी (7) लक्ष्मण राम सैनी पुत्र हीरालाल सैनी एवं (8) विमला देवी पत्नी स्व० श्री लक्ष्मण राम सैनी का 1/8 – 1/8 भाग का वाके अलवर नम्बर–1 में साबिक एवं हाल जमाबन्दियों में नाम का अंकन किया जावे। तदानुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2022 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उप खण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

नोट: निर्णय में विमला देवी पत्नी स्व० श्री लक्ष्मण राम सैनी के स्थान पर विमला देवी पत्नी स्व० श्री घनश्याम सैनी पुत्र वधु श्री लक्ष्मण राम सैनी पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्यारे लाल सोंठवाल RAS

उनवान

मीरा सैनी बनाम सरकार

दावा बाबत धारा 88 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर :– 1/2

निर्णय दिनांक :– 05.01.2022

वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.01.2022 को अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि साबिक खसरा नम्बर 619/2 के हाल खसरा नम्बर 673 रकबा 0.30 है० वाके अलवर नम्बर–1 के 1/2 भाग में (1) मीरा सैनी पत्नी स्व० किशनलाल, (2) शिम्भू दयाल शर्मा पुत्र श्री किशन लाल शर्मा, (3) लक्ष्मण राम सैनी पुत्र श्री गोविन्द राम सैनी, (4) रामचन्दर पुत्र श्री लक्ष्मण राम सैनी, (5) सुशील पुत्र श्री लक्ष्मणराम सैनी, (6) रमेश पुत्र लक्ष्मण राम सैनी, (7) लक्ष्मण राम सैनी पुत्र हीरालाल सैनी एवं (8) विमला देवी पत्नी स्व० श्री लक्ष्मण राम सैनी को 1/8 – 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार अलवर को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक इंतकाल संख्या 1241 के साबिक खसरा नम्बर 619/2 के हाल खसरा नम्बर 673 रकबा 0.30 है० 1/2 भाग में (1) मीरा सैनी पत्नी स्व० किशनलाल (2) शिम्भू दयाल शर्मा पुत्र श्री किशन लाल शर्मा (3) लक्ष्मण राम सैनी पुत्र श्री गोविन्द राम सैनी (4) रामचन्दर पुत्र श्री लक्ष्मण राम सैनी (5) सुशील पुत्र श्री लक्ष्मणराम सैनी (6) रमेश पुत्र लक्ष्मण राम सैनी (7) लक्ष्मण राम सैनी पुत्र हीरालाल सैनी एवं (8) विमला देवी पत्नी स्व० श्री लक्ष्मण राम सैनी का 1/8 -- 1/8 भाग का वाके अलवर नम्बर–1 में साबिक एवं हाल जमाबन्दियों में नाम का अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 05.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्यारे लाल सोंठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर
अलवर (राज०)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4........ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशित की तामील कमिश्नर की फीस	रूपया

नोट: विमला देवी पत्नी स्व० श्री लक्ष्मण राम सैनी के स्थान पर विमला देवी पत्नी स्व० श्री घनश्याम सैनी पुत्रवधु श्री लक्ष्मणराम सैनी पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी